कार्यालय नगर पालिक निगम, रतलाम(म0प्र0) 457001

01 कालेज रोड रतलाम दूरभाष 07412–270555 फैक्स नं. 07412–270556
Email- commratlam@mpurban.gov.in Website- www.rmcratlam.in

क्रमांक 293 / सा0प्र0 / 2022 दिनांक 23–2–2022

// बैठक कार्यवाही विवरण //

दिनांक 23–2–2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अन्तर्गत किये जा रहे कार्यो की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :–

1. श्री एम0के0 जैन, प्र0सहायक यंत्री
2. श्री एस0पी0 आचार्य, प्र0सहायक यंत्री
3. श्री मैयालाल चौधरी, उपयंत्री,
4. श्री राजेश पाटीदार, उपयंत्री
5. श्री बृजेश कुशवाह, उपयंत्री
6. श्री सुहास पण्डित, उपयंत्री
7. सुश्री दिक्षा निजामपुरकर, उपयंत्री
8. श्री ए0पी0सिंह, जोन प्रभारी–3,
9. श्री धर्मेन्द्र दोगाया, उद्यान पर्यवेक्षक जोन प्र0 –2
10. श्री किरण चौहान, जोन प्रभारी जोन प्रभारी –1
11. श्री विनयसिंह चौहान, जोन प्रभारी, जोन प्रभारी –4
12. श्री कोमलसिंह चौहान, स0रा0नि0
13. श्री अनिल खरे, सहा0वर्ग–3
14. श्री गोपाल झालिवाल, सहा0वर्ग–2
15. श्री विजय कपूर, स0रा0नि0
16. श्री इलियास मन्सूरी, स0रा0नि0
17. श्री एहसान खान, स0रा0नि
18. श्री महेश व्यास, स0रा0नि
19. श्री विष्णु कुमावत स0रा0नि
20. श्री दिनेश राठौर, सहा0वर्ग–3
21. श्री हरेश जोशी, सहा0वर्ग–3
22. श्री जितेन्द्र सिसोदिया,
23. श्री विराट मेहरा
24. श्री सोरभ काला,
25. श्री राकेश पाण्डे,
26. श्री कुलदीप भट्ट,
27. श्री शशांक पाण्डे

बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों के समक्ष स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अन्तर्गत सौपे गये दायित्वों, किये जाने वाले कार्यो की समीक्षा की गई तथा इस विषय में चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

1– नगर के विभिन्न क्षेत्रो में स्थित औषधी पार्क के उचित रख–रखाव के लिये उक्त बगीचो का निरीक्षण करें, इनमें नियमित रूप से सिंचाई की जाना है, जहां पानी की व्यवस्था हेतु ट्यूब–वेल लगे है, उन्हे चेक करें, बन्द होने पर दुरूस्ती करावे, विद्युत कनेक्शन, केबल आदि की आवश्यकता होने पर लगाई जावे, चारो जोन में स्थित बगीचो के संबंध में जानकारी संकलित कर दिनांक 24–2–2022 को प्रातः उपलब्ध करावें, जानकारी उद्यान, स्वास्थ्य विभाग एवं जलप्रदाय विभाग संयुक्त रूप से तैयार कर प्रस्तुत करें ।

(कार्यवाही– स्वास्थ्य विभाग के चारो जोन प्रभारी, जलप्रदाय विभाग के उपयंत्री, उद्यान प्रभारी एवं उद्यान पर्यवेक्षक)

2– सफाई मित्रो के कार्यो एवं उपस्थिति को कार्य स्थल पर जाकर चेक करे तथा वास्तविक जानकारी ही प्रस्तुत करें, किसी भी स्थिति में जानकारी असत्य पाई जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी ।

(कार्यवाही– प्र0स्वास्थ्य अधिकारी, चारो जोन प्रभारी, वार्ड प्रभारी एवं वार्ड हेतु नियोजित कर्मचारी)

3– सिटी ब्यूटिफिकेशन के लिये चयनित स्थानो पर दिनांक 24–2–2022 को चारो जोन मे एक–एक वार्ड में कार्य कराया जावे, तथा अगले दिन से चारो जोन के 2–2– वार्डो में कार्य कराया जाकर 6 दिनों में उक्त कार्य सम्पन्न कराया जावे ।

(कार्यवाही श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री मो0हनीफ शेख, प्र0कार्यपालन यंत्री एवं क्षेत्र से संबंधित उपयंत्री)

4– प्लास्टिक प्रतिबंध – प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध में निरन्तर स्पाट फाईन किया जावे, दुकानदारो को सूचना देवे कि ऐसे प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसका उपयोग नहीं करें, जहां पर ऐसी सामग्री विक्रय की जाती है वहां भी स्पाट फाईन करें । स्पाट फाइन की दरे तय किये जाने बाबत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें ।

(कार्यवाही, प्र0स्वास्थ्य अधिकारी, चारो जोन प्रभारी, वार्ड प्रभारी)

5– जीन क्षेत्रो में अभी भी जी0वी0पी है, उन्हे बन्द किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये है, नियत समयावधि पूर्ण हो गई है, अतः उक्त कार्य आगामी 3 दिनों में पूर्ण किया जावे उक्त अवधि में शत–प्रतिशत जी0वी0पी0 बन्द की जाना सुनिश्चित करें, शहर में किसी भी स्थान पर जी0वी0पी0 नहीं होना चाहिये, नियत समयावधि पश्चात जिस क्षेत्र में जी0वी0पी0 पाया जावेगा उस क्षेत्र के जोन प्रभारी, वार्ड प्रभारी एवं वार्ड हेतु नियुक्त पर्यवेक्षण अधिकारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी ।

(कार्यवाही– प्र0स्वास्थ्य अधिकारी, चारो जोन प्रभारी, वार्ड प्रभारी एवं वार्ड हेतु नियोजित कर्मचारी)

6– जी0पी0एस0 सिस्टम में तकनिकी कमी होना बताया है, इसे आज ही प्रारम्भ करवाया जावे, इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जावे, अन्यथा संबंधित का उत्तरदायित्व तय कर अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी ।

(कार्यवाही श्री मो0हनीफ शेख, कार्यपालन यंत्री, श्री सौरभ काला)

7– खुले में शौच/पेशाब करने वाले के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश पूर्व में दिये गये है, ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करे, तथा की गई कार्यवाही सोशल मिडिया पर प्रचारित करें, खुले में मल/मूत्र त्याग पाया जाने पर उस क्षेत्र के जोन प्रभारी, वार्ड दारोगा तथा वार्ड हेतु नियुक्त पर्यवेक्षणकर्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी तथा 7–7– दिन का वेतन काटा जावेगा । यूरीनल हेतु शहर में स्थान चयन करे, वहां 20–25 अस्थायी यूरिनल स्थापित करें ।

(कार्यवाही, श्री सुरेश व्यास, प्र0कार्यपालन यंत्री एवं चारो जोन प्रभारी, वार्ड हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी एवं वार्ड प्रभारी)

8— खाली प्लाटो पर कचरा फैलाने वालो को नोटिस जारी किये गये है, उन्हे तामिल करावे, जिनका पता नही मिले उस प्लाट पर लकड़ी/लोहे की स्टीक पर कार्ड—बोर्ड की तख्ती लगाकर नोटिस चस्पा करें, ऐसी कार्यवाही को सोशल मिडिया पर डाले, इसके साथ ही घनी कालोनी एवं क्षेत्रों मे खुले प्लाटो को भी चिन्हित करे तथा उन्हे भी इसी प्रकार नोटिस जारी कर फाईन वसूला जावे ।

(कार्यवाही—प्र0स्वास्थ्य अधिकारी चारो जोन प्रभारी, वार्ड प्रभारी)

9— सी0टी0/पी0टी0 का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहे , तथा कहीं कोई कमी हो तो पूर्ण करावें, गत बैठक में दिये गये निर्देशानुसार कर्मचारी की ड्यूटी प्र0स्वास्थ्य अधिकारी लगावे ।

(कार्यवाही श्री सुरेश व्यास, श्री मो0 हनीफ शेख,प्र0 कार्यपालन यंत्री, श्री एस0पी0

10— वाल पैंटिंग कार्य बहूत धीमी गति से हो रहा है, इसमें तेजी लाई जावे संबंधित को उक्त कार्य हेतु टीम बढ़ाई जाने बाबत सूचित करें, विद्युत पोलों पर पैंट कार्य अधूरा है, इसे पूर्ण करावें । शहर के फोरलेन पर लगी सेन्ट्रल लाईटिंग के पोल पर चर्चा के दौरान दिये गये निर्देशानुसार रोप लाईट्स लगाई जाने बाबत कार्यवाही करें ।

(कार्यवाही श्री सुरेशचन्द्र व्यास, प्र0कार्यपालन यंत्री, श्री एस0पी0 आचार्य प्र0प्रकाश विभाग एवं श्री बृजेश कुशवाह, उपयंत्री)

समस्त अधिकारी कर्मचारी जिन्हे दायित्व सौपा गया है, वह कार्य नियत समयावधि में पूर्ण करें ।

उपरोक्तानुसार एवं चर्चा के दौरान दिये गये अन्य निर्देशों का समस्त संबंधित पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।

(सोमनाथ झारिया)
आयुक्त
नगर पालिक निगम,रतलाम
दिनांक 23—2—2022

पृ0क्र0/293/सा0प्र0/2022
प्रतिलिपि :—

1— कलेक्टर एवं प्रशासक, नगरपालिक निगम, रतलाम की ओर सुचनार्थ ।
2— सर्व संबंधित श्री ——————————नगरपालिक निगम, रतलाम

की ओर पालनार्थ प्रेषित ।

23/2/22
आयुक्त,
नगरपालिक निगम, रतलाम